राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक :F 26(4)(49)/PMMVY/Buget /ICDS/2017-18/ 197236-269 दिनांक : 14/11/18

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषयः—प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY) के अन्तर्गत विभिन्न मदों में बजट की व्यय की सूचना भिजवाने बाबत।

सन्दर्भः—विभागीय पत्रांक 78811—9147 दिनांक 08.05.2018, 111366—98 दिनांक 15.06.2018, 126845—7181 दिनांक 10.07.2018, 166913—940 दिनांक 14.09.2018, 140982—1318 दिनांक 03.08.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्रों द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों में बजट आवंटन किया गया था। योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए ब्लॉक स्तर पर जॉब बेसिस पर डेटा एन्ट्री कार्य के लिए तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को टीम इन्सेटिव के रूप में फलेक्सी फण्ड, योजना के प्रचार—प्रसार हेतु सामग्री के मुद्रण, PMMVY मातृ सप्ताह, संविदा व्यय हेतु उप निदेशक/सीडीपीओ कार्यालय को बजट आवंटन किया गया था।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों में बजट व्यय की सूचना निम्न प्रारूप में भिजवावें :—

क्र.सं.	जिला	परियोजना	बजट आवंटन मद	बजट आवंटन राशि	व्यय (राशि रूपयों में) (अप्रैल—सितम्बर,18 तक)
1					
2					

आज दिनांक तक विभिन्न मदों में केवल 20 प्रतिशत राशि का ही व्यय हुआ है, जिसे राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया है। यदि आवंटित बजट का समय पर उपयोग नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार की वित्तीय दायित्व लम्बित रहता है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अन्तर्गत आवंटित बजट का समय पर उपयोग नहीं करवाये जाने के कारणों सहित निर्धारित प्रारूप में अपने संबंधित सीडीपीओं कार्यालयों से सूचना प्राप्त कर दिनांक 16.11.2018 तक आवश्यक रूप से विभागीय ई—मेल **pmmvy.wcdraj@gmail.com** पर सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाया जा सकें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाए
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :F 26(4)(49)/PMMVY/Buget /ICDS/2017-18/ 197270-272 दिनांक : 14/11/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, निदेशक महोदया, समेकित बाल विकास सेवाएं,
2. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, जयपुर
3. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

प्रभारी अधिकारी (PMMVY)/
अतिरिक्त निदेशक (आई)